No. VI/25013/11/78-GPI. II
Government of India/Bharat Sarkar,
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

To

The Home Secretaries of All State Govt./UTs.

New Delhi—110001, the 3rd May, 1978

13 Vaisakha, 1900

Subject : Supply of a copy of the FIR to the informAnt Giving of wide publicity.

Sir,

Under the revised Criminal Procedure Code, section 154(2) provides that a copy of the F.I.R. of a cognizable offence should be provided to the informant free of cost. It appears that the people at large are not aware of this legal right. It is req uested that wide publicity be given to this provision through mass media to create an awareness in the public about their legal right in this regard.

Yours faithfully,

Sd/- (C.S. CHADHA)

Dy. SECY. TO THE GOVERNMENT OF INDIA

No. VI/25013/11/78-GPA. II

3rd May, 1978

1. Copy to SHRi K.S. Ramanathan, Dy. Principal information officer PR I, New Delhi. It is requested that this may be given wide publicity through press, All India Radio, T.V. and other available media.

2. Copy to Guard file.

3. GPA II (10 spare copies).

Sd/- (C.S. CHADHA)

Dy. SECY. TO THE GOVERNMENT OF INDIA

जनता शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का रद्द किया जाना।

4425. **श्री जयराम वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन पिछली सरकार के शासन काल के दौरान बंद कर दी गई थी और उनसे कहा गया था कि वे केन्द्रीय पेंशन के लिये अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए फिर से दस्तावेज पेश करें;

(ख) उनमें से कितने स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है;

(ग) शेष मामलों में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार गांधी आश्रम, उत्तर प्रदेश, जिस पर 1942 के "भारत छोड़ो" आंदोलन के बहुत आरम्भ में कब्जा कर लिया गया था, के श्रमिकों को पेंशन देने के बारे में अलग नीति अपनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 2786

(ख) 2178

(ग) 1-8-1980 से वार्षिक आय सीमा हटा देने के बाद, वे पेंशने बहाल कर दी गई है, जिन्हें पहले रोक दिया गया था। शेष मामले, जहां सजा की अवधि के बारे में संदेह थे, अतिरिक्त तर्कसंगत सबूत प्रस्तुत करके इन दावों को सिद्ध करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को अवसर प्रदान करने के बाद राज्य सरकारों को सत्यापन तथा हकदारी संबंधी रिपोर्टों के लिए भेज दिये गये है। पेंशन बहाल करने के लिए या अन्य प्रकार का अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त होते ही किया जाता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।